**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध**

**संख्या- 34/2017/1517/38-4-17-14(विविध)/2016**

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर, 2017

**विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) की प्रगति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आवासों का निर्माण द्रुतगति से कराये जाने, लाभार्थियों के बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि हस्तान्तरण करने, योजनान्तर्गत भ्रष्टाचार रोकने, आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर से समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों/आदेशों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी निरन्तर समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत उक्त शासनादेशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है।

2- योजनान्तर्गत शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत शासन द्वारा आवासों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की जा चुकी है किन्तु कतिपय जनपदों द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि चयनित लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करने में विलम्ब किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आवास निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा जनपद की अपेक्षित प्रगति में भी कमी परिलक्षित हो रही है। अतएव मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों द्वारा धनराशि हस्तान्तरण की अपने स्तर से स्वयं समीक्षा/पर्यवेक्षण करते हुए अपने-अपने जनपदों/मण्डलों में यदि कोई बाधा हो तो उसको दूर करते हुए आवासों के निर्माण में अपेक्षित तेजी/प्रगति लायें (प्रगति की सूची संलग्न है)। कृपया यह सुनिश्चित करें कि मासान्त नवम्बर तक शतप्रतिशत स्वीकृतियों की द्वितीय किश्त जारी हो जाए।

3- शासनादेश संख्या-25/2017/857/38-4-17-14(विविध)/2016टी0सी दिनांक 22.08.2017 द्वारा योजनान्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये थे कि ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थलों पर स्थायी प्रतीक्षा सूची अंकित करायी जाय तथा योजना में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु जनपदीय अधिकारियों के मोबाईल नं0 को वाल राइटिंग में अंकित कराते हुए कृपया भ्रष्टाचार रहित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। भ्रष्टाचार सम्बन्धी जो भी शिकायतें शासन स्तर से /आयुक्त, ग्राम्य विकास से या आवेदक के द्वारा प्राप्त हो रही हैं उनकी गहनता से जांच करके तत्समय अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जाय ताकि जनमानस में भ्रष्टाचार रहित सुशासन का अच्छा संदेश जाय तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। गरीबों के लिए बन रहे इन आवासों के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर पर भी औचक निरीक्षण कराकर या गोपनीय रूप से समय-समय पर जांच कराते हुए भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4- योजना की मार्गनिर्देशिका के प्रस्तर-5.1.1 (घ) में उल्लेख है कि आवास इस गुणवत्ता के साथ बनाया जाय कि वह कम से कम 30 वर्षो तक टिकाऊ रह सके। शासनादेश संख्या-29/2017/119/38-4-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17-14(विविध)/2016टी0सी-1 दिनांक 19.09.2017 द्वारा मकानों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। योजनान्तर्गत आवासों को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मानकों के अनुरूप निर्मित कराये जाने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर से आवास निर्माण संबंधी सामग्री एवं उसके उपयोग के संबंध में एक बुकलेट प्रेषित की जा रही है। बुकलेट का ग्रामीण स्तर तक प्रचार-प्रसार कराते हुए बुकलेट में दिये गये निर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण कराये जाने में प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5- योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों द्वारा आवासों के समर्पण के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी सूचना के आधार पर आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.10.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 दोनों वर्षों के समेकित लक्ष्यों के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 84137 आवासों हेतु लाभार्थी उपलब्ध न होने के संबंध में अवगत कराया गया है, इस पर पुन: सत्यापन करा लिया जाए साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सूची में से तथा स्थाई पात्रता सूची में से बाद में अपात्र घोषित किये गये लाभार्थियों का भी सघन सत्यापन कराया जाय। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का भी चिन्हॉकन किया जाए जो कि पात्र होते हुए भी उनका नाम SECC सूची में आने से रह गया था। कृपया ये सभी सत्यापन रिर्पोट नवम्बर मासांत तक अवश्य प्रेषित कर दें। शासन स्तर से भी समर्पित लक्ष्यों/अपात्र घोषित किये गये लोगों का पुन: सत्यापन कराया जायेगा। कृपया लाभार्थियों की सूची का ग्राम स्तर पर पुन: गहनता से परीक्षण करें ताकि कोई पात्र लाभार्थी आवास सुविधा से वंचित न रह सके। उपरोक्त के विषय में शासन/आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा निर्धारित प्रारूप में मांगी गई सूचना कृपया तत्काल उपलब्ध कराएं।

6- स्थायी पात्रता सूची के जो पात्र व्यक्ति वर्ष 2016-17 व 2017-18 में धन की सीमित उपलब्धता के कारण लाभान्वित नहीं किए जा सके थे, उनको वर्ष 2018-19 में आवास देने का लक्ष्य है। कृपया उनकी श्रेणीवार सूची तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को उपलब्ध करा दें।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत सुपात्र व्यक्तियों को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराये जा सकें।

भवदीय,
राजीव कुमार,
मुख्य सचिव

**संख्या-34/2017/1517(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in